Order sheet [Contd]

case No. mjc 3 / 2018 इजरा

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

31.01.2018

प्र0कं0 19/14 एम0जे0सी0

पुराना कं0 एम0जे0सी0 02/2001 इजरा

आवेदक / बीमा कम्पनी द्वारा श्री आरं०के० वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित।

डिकीदार कम्पनी की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 151 जा०दी० का प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया गया है कि यह प्रकरण वाहनस्वामी से राशि वसूल करने के संबंध में है, परन्तु यह प्रकरण एम०जे०सी० में त्रुटि से दर्ज हो गया है। प्रकरण को एम०जे०सी० से निरस्त किया जाकर इजरा में दर्ज किया जावे।

डिकीदार को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि क्लेम प्र0कं0 15/95 उनवान श्रीमती रामवती एवं अन्य बनाम सतीश गुप्ता एवं अन्य में पारित अधिनिर्णय दि0 29.04.1999 में यह आदेश किया गया था कि अना०कं0 03 बीमा कम्पनी की ओर से अंतरिम प्रतिकर की राशि 25,000/— रूपये जमा की गयी है जो अना०कं0 01 व 02 द्वारा कुल प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसमें से 25000/— रूपये की राशि तथा दि0 04.07.1996 से उक्त 25000/— रूपये की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि अना०कं0 03 बीमा कम्पनी को देय होगी। इस प्रकार बीमा कम्पनी के द्वारा अना०कं0 01 सतीश गुप्ता एवं अना०कं0 02 हरीओम से उक्त 25000/— रूपये की राशि उक्त ब्याज की दर से ब्याज सहित वसूल किया जाना है।

इस प्रकार यह वसूली का प्रकरण होकर इजरा का ही प्रकरण होना प्रतीत होता है अतः इस प्रकरण को एम0जे0सी0 से निरस्त करके इजरा प्रकरण के रूप में दर्ज किया जावे।

प्रकरण पुनः पेश हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय सदस्य, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च:-

प्र०कं० 03/18 इजरा एम०जे०सी०

यह प्रकरण एम0जे0सी0 से निरस्त होकर इजरा के रूप में दर्ज किया गया।

आवेदक / डिकीदार की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश धारा 39 जा0 दी0 का प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि वाहनस्वामी सतीश गुप्ता पोरसा जिला मुरैना में निवास करते हैं और उनकी सम्पत्ति मुरैना जिले में ही है। इस इजरा को वसूली हेतू जिला न्यायालय मुरैना में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन किये जाने से स्पष्ट है कि सतीश गुप्ता पुत्र रामविलास निवासी भिण्ड रोड, पोरसा जिला मुरैना वाहन मालिक है। जिनसे उक्त राशि वसूल की जाना है। अतः ऐसी स्थिति में इस इजरा को जिला न्यायालय मुरैना की ओर वसूली हेतू भेजा जाना न्यायोचित है।

अतः विहित प्रोफार्मे पर आदेश एवं प्रमाण पत्र आदि तैयार किये जाकर जिला न्यायालय मुरैना के लिए भेजे जावे। जिसके साथ असल इजरा आवेदन, अधिनिर्णय/डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जावे। इस इजरा के अभिलेख के साथ इजरा आवेदन की फोटोकॉपी, वकालतनामा तथा अधिनिर्णय/डिकी की फोटोकॉपी एवं आवेदन अंतर्गत धारा 39 जा०दी० असल संलग्न किया जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण,
गोहद जिला भिण्ड

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
Again ain	necessayry

A Presiding A Pres ALIMANIA PATEIRO BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTING BUILTING